

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
उपकारा, झंझारपुर/हिलसा/
पटनासिटी/मसौढ़ी/उदाकिशुनगंज/
वीरपुर एवं नवगछिया।

पटना, दिनांक 21-3-2016

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सी0आर0डब्लू0जे0सी0 संख्या 308/96 में दिनांक 24.09.98 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के उपकाराओं के कैदियों द्वारा किए गए कार्यों के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु मजदूरी मद में ₹4,00,000 (चार लाख रुपये मात्र) अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड-एन-2056001010003

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-22/2014-295/वि0 दिनांक 24.03.2015, ब17/बी0एस0जी0-05/2015-396/वि0 दिनांक 24.04.2015, पत्र संख्या- एम-4-09/2014/5294 दिनांक-17.06.2015, एवं पत्रांक 2561/वि(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि में से व्यय हेतु प्रत्येक उपकारा के सामने अंकित राशि का आवंटन मजदूरी मद में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है:-

क्र	काराओं का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल योग	शब्दों में
1	उपकारा झंझारपुर	112000	30000	142000	एक लाख बेयालीस हजार रुपये मात्र
2	उपकारा हिलसा	464000	30000	494000	चार लाख चौरानवे हजार रुपये मात्र
3	उपकारा पटनासिटी	75000	50000	125000	एक लाख पचीस हजार रुपये मात्र
4	उपकारा मसौढ़ी	187000	60000	247000	दो लाख सैंतालीस हजार रुपये मात्र
5	उपकारा उदाकिशुनगंज	175000	50000	225000	दो लाख पचीस हजार रुपये मात्र
6	उपकारा वीरपुर	0	100000	100000	एक लाख रुपये मात्र
7	उपकारा नवगछिया	92000	80000	172000	एक लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र
	कुल योग	1105000	400000	1505000	पंद्रह लाख पाँच हजार रुपये मात्र।

2. इस आवंटन के अंतर्गत किये जाने वाले व्यय में गृह विभाग का संकल्प ज्ञाप-डी0पी0एस0 (बंदी परि०)-03-0-01/10-4675 दिनांक-16.10.12 एवं डी0पी0एस0 (बंदी परि०)-03-0-01/10-254 दिनांक-14.01.16 में निहित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3. यह व्यय मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101 जेल, मांग सं0-22, उप शीर्ष-0003-उप जेल, विपत्र कोड-N2056001010003 के मजदूरी इकाई के अन्तर्गत होगा। राशि निकासी हेतु कूट सं0 02 01, मांग सं0 एवं विपत्र कोड अवश्य अंकित किया जाय।

4. आवंटित राशि से अधिक का व्यय एवं इस राशि का दूसरे मद में विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप0)-03-03/15-115

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, वीरचंद इस्टेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 21-3-2016

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप0)-03-03/15-115

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 21-3-2016

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(उप0)-03-03/15-115

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक 21-3-2016

महानिरीक्षक,

कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।